न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 अपील 692 / 2025/online
मैन्युअल प्र०सं० 03/2025

दायर दिनांक: 21.11.2025

उनवान

1. मांगीलाल पिता गुलाब उम्र 77 साल जाति दांगी निवासी बानोर तहसील रायपुर जिला झालावाड राज.

— अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत बनोर पंचायत समिति पिड़ावा जिला झालावाड़ राज
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर जिला झालावाड राज.

—रेस्पोडेन्टगण

अपील बनाराजगी आदेश ग्राम पंचायत बानोर नामान्तरण संख्या—2556 दिनांक—20.06.2025 अन्तर्गत धारा—75 एलआर एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक :—

अभिभाषक अपीलांट :— श्री नीलकमल त्रिवेदी
रेस्पोडेन्ट सं. 1 :— एकतरफा
रेस्पोडेन्ट सं. 2 :— तहसीलदार रायपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ सत्यमेव जयते

आदेश दिनांक : 30.03.2026

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह कि वाके ग्राम बानौर पटवार हल्का बानौर तह० रायपुर में खातेदार मागीलाल पिता गुलाब जाति दागी निवासी बानौर की मृत्यु होने पर खाता संख्या 540 खसरा नं. 1040 रकबा 0.0253 है० व खाता संख्या 541 खसरा नं. 1037 रकबा 0.1265 व खाता संख्या 696 खसरा न. 148 रकबा 0.2909 है0, खसरा नं. ... रकबा 0.... कुल किता 2 कुल रकबा 0.6703 है० आराजी का फोती ... दिनांक 19 / 06 / 2025 को रेस्पोडेण्ट नं. 1 द्वारा ... इस नामान्तरण से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 18:57:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

दिनांक:— 15 / 09 / 2023 को दर्ज कर अपीलाण्ट के नाम तस्दीक किया गया

Scanned with OKEN Scanner

असन्तुष्ट होकर अपील अपीलाण्ट पेश है। यह कि ग्राम बानौर पटवार हल्का बानौर तह० रायपुर के खाता संख्या 696 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6703 है० आराजी खातेदार मागीलाल पिता गुलाब जाति दांगी निवासी बानौर ने दिनांक 01/09/2023 को जरिये रजिस्ट्रर्ड बयनामा खातेदार ईश्वरसिंह, मुन्नीबाई, सन्तोष कुवर पिसरान राधेश्याम जाति आजना निवासी बानौर से खरीद की थी जिसका नामान्तरण सख्या 2194 दिनांक– 15/09/2023 को दर्ज कर अपीलाण्ट के नाम तस्दीक किया गया था तब से ही अपीलाण्ट खातेदार टीनेन्ट है। यह कि ग्राम बानौर में ही अपीलाण्ट के समान नाम एवं समान पिता के नाम तथा समान जाति अर्थात मांगीलाल पिता गुलाब जाति दागी निवासी बानौर की मृत्यु दिनांक– 24/03/2011 को हुई थी जिसका फोती नामान्तरण संख्या 2556 दिनांक– 19/06/2025 को खोला जाकर तस्दीक किया गया तो उस नामान्तरण में मृतक मागीलाल पित्ता गुलाब की आराजी खाता सख्या 540 च 541 के साथ ही अपीलाण्ट की खाता संख्या 696 का खसरा नं. 148 व 149 की आराजी भी शामिल कर फोती नामान्तरण तस्दीक कर दिया गया जबकि अपीलाण्ट तो अभी–भी जीवित है तथा अपीलाण्ट ने उपरोक्त आराजी दिनांक–01/09/2023 को खरीद की है। इसलिए अपीलाण्ट की आराजी पर नामान्तरण संख्या 2556 दिनांक 19/06/2025 खारीज होने योग्य है क्योकि अपीलाण्ट की आराजी का पूर्व मृतक मांगीलाल की आराजी से कोई संबंध नहीं है अपीलाण्ट की आराजी पर भी यह फोती नामान्तरण दर्ज कर बड़ी कानूनी मूल की है इसलिए अपीलाण्ट की अपील स्वीकार किया जाकर नामान्तरण संख्या 2556 दिनांकरू 19/06/2025 खारीज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है क्योकि ग्राम बानौर में ही अपीलान्ट के ही नाम का दूसरा व्यक्ति मृतक मांगीलाल पिता गुलाब जाति दांगी था जिसकी आराजी में अपीलान्ट की आराजी भी फोती नामान्तरण दर्ज करते समय शामिल कर ली गई है। यह कि अपील अपीलाण्ट अवधि मध्य पेश है क्योकि अपीलाण्ट को इस विवादित नामान्तरण की जानकारी दिनांक 02/11/2025 को हुई और उसी दिन नामान्तरण की नकल प्राप्त कर अपील पेश की है। यह कि अपीलाण्ट माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम वानौर पटवार हल्का बानौर तह० रायपुर के नामान्तरण संख्या 2556 में दिनांकः 19/06/2025 को पारित आदेश अपीलाण्ट की भूमि खाता संख्या 696 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6703 है० आराजी के संबंध में निरस्त किया जाकर पुनः अपीलाण्ट को खातेदार बहाल किये जाने का आदेश रेस्पोडेण्ट नं. 3 को दिये जाने की कृपा करे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडैट सं. 1 बावजूद सूचना अनुस्थित रहा। अतः मुताबिक आदेशिका दिनांक 06.02.2026 उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण की जाँच हल्का पटवारी से करवाई जाकर बिन्दुवार जाँच रिपोर्ट निम्नानुसार पेश की – बिन्दु संख्या 1 स्वीकार है। ग्राम बानौर का नामान्तरकरण संख्या 2556 निर्णय दिनांक 19.06.2025 विरासत प्राथिया डालीबाई पुत्री मांगीलाल के आवेदन पर मृतक मांगीलाल पुत्र गुलाब जाति दांगी के स्थान पर वारिसान के नाम दर्ज किये जाने बाबत ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा निर्णित किया गया था जिसमें आवेदन अनुसार ग्राम बानौर के खाता संख्या 540,541 एवं 696 की आराजी पर मृतक के स्थान पर पुत्री हालीबाई एवं पत्नी सवबाई का नाम दर्ज किये जाने का आदेश हुआ था। बिन्दु संख्या 2 स्वीकार है। मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 2394 निर्णय दिनांक 20.09.2023 ग्राम बानौर की आराजी खाता संख्या 462 की खसरा संख्या 148 रकबा 0.2909 एवं खसरा 149 रकबा 0.3794 कुल किता 2 क्षेत्रफल 0.6703 हेक्टेयर भूमि पर खातेदार विक्रेतागण के स्थान पर क्रेता मांगीलाल पुत्र गुलाब जाति दांगी निवासी बानौर का नाम दर्ज करने का निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा किया गया था। क्रय शुदा आराजी का विक्रय पत्र दिनांक 01.09.2023 को पंजीबद्ध हुआ था। नामान्तरकरण संख्या 2394 का अमल खाता संख्या 696 में किया गया था बिन्दु संख्या 3 स्वीकार है। अपीलाण्ट एवं मृतक खातेदार मांगीलाल पुत्र गुलाब का नाम पिता का नाम एवं जाति समान होने से आवेदक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा आवेदन में एवं ऑनलाइन नामान्तरकरण संख्या 2556 दिनाक 19.06.2025 में खाता संख्या 540 एवं 541 के साथ अपीलांट की आराजी की खाता संख्या 696 भी सहवन से जोड़ दिया गया । बिन्दु संख्या 4 माननीय न्यायालय से सम्बंधित है। बिन्दु संख्या 5 माननीय न्यायालय से सम्बंधित है। अतः जवाब मय जाँच रिपोर्ट सादर श्रीमान की सेवा में प्रेषित है

3. अपीलांट की ओर से अपील के समर्थन में ग्राम बानोर नामान्तरण संख्या 2556 दिनांक 20.06.2025 की सत्यप्रति, ग्राम बानोर का गत खाता सं. 696 जमाबंदी सं. 2072–75, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक 202301540001243 दिनांक 01.09.2023 की प्रति, ग्राम पंचायत बानोर का प्रमाण–पत्र दिनांक 07.11.2025, प्रार्थी डाली बाई द्वारा अपने पिता मांगीलाल दांगी के फोती नामान्तरण हेतु दिये गये आवेदन की प्रतिलिपि, ग्राम पंचायत बानोर द्वारा जारी उत्तरदायीत्व प्रमाण–पत्र की प्रति, मांगीलाल पुत्र गुलाब माता कंवरा बाई का मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनांक 08.04.2025, अपिलान्ट का आधार कार्ड, डाली बाई का आधार कार्ड आदि की प्रतियां पेश की गई।

4. अभिभाषक अपीलांटस की एकतरफा बहस अपील सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बानोर में मांगीलाल पुत्र गुलाब जाति दांगी नाम कें दो व्यक्ति थे जिसमें से एक की मृत्यु दिनांक 24.03.2011 को हो चुकी है जबकि दुसरे मांगीलाल अपीलान्ट अभी जिंदा है। मृतक मांगीलाल पुत्र गुलाब जाति दांगी जिसकी मां का कंवरा बाई था के खाते ग्राम बानोर में खाता सं 540 किता 01 एवं खाता सं0 541 किता 01 दर्ज रिकॉर्ड थी जबकि खाता सं0 696 किता 02 अपीलान्ट मांगीलाल के खाते दार्ज थी। आपीलान्ट मांगीलाल ने वादग्रस्त आराजी खसरा नं 148 व 149 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक 20230154001243 दिनांक 01.09.2023 से इश्वर सि[illegible]बाई व संतोष कुंवर जाति आंजना निवासी बानोर से क्रय कर कब्जा किया था। अपीलान्ट मांगीलाल जरिये नामान्तरण सं0 2394 दिनांक 20.09.2023 से खातेदार दर्ज हुए थे। मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

मांगीलाल पुत्र गुलाब की पुत्री डाली बाई द्वारा पटवार हल्का बानोर के समक्ष फोती नामान्तरण का आवेदन करते समय खाता संख्या 540 व 541 के साथ–साथ अपीलान्ट के खाता सं0 696 को भी प्रार्थना पत्र में अंकित कर दिया था लेकिन हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा राजस्व रिकॉर्ड व मौके पर जांच पड़ताल किये बिना अपीलान्ट की भूमि पर भी फोती नामान्तरण सं 2556 दिनांक 19.06.2025 को खोला गया था जिसे ग्राम पंचायत के कोरम द्वारा भी अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना, तथ्यों की जांच किये बिना एवं अपीलांट के जिवित होते हुए भी गैरकानुनी रूप से नामान्तरण को निर्णित कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट की वादग्रस्त आराजी का फोती नामान्तरण दर्ज होने का दुरूपयोग कर मृतक मांगीलाल के वारिसान अपीलान्ट की भूमि को भी बेचने पर आमादा है जिससे अपीलान्ट को अपूर्णिय क्षति कारित हो सकती है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त नामान्तरण को खारिज किया जावे।

5. अभिभाषक अपीलांट द्वारा आगे तर्क किया गया कि आपीलान्ट को उक्त नामान्तरण की जानकारी होते ही दिनांक 02.11.2025 को हल्का पटवारी से प्राप्त हुई थी। आवैध नामान्तरण की सूचना प्राप्त होते ही अपीलांट द्वारा नामान्तरण की अपील मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम का पेश कर दिया गया। अतः अपीलांट के जिवित होते हुए भी, एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना राजस्व कार्मिको व ग्राम पंचायत द्वारा मिलकर षडयंत्र पूर्वक दर्ज किये गये प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य व अवैध नामान्तरण की अपील पेश होने में हुई देरी माफ किये जाने योग्य है।

6. अभिभाषक अपीलांट की बहस अपील के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा पेश ग्राम बानोर की वादग्रस्त आराजी खसरा नं 148 व 149 के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक 20230154001243 दिनांक 01.09.2023 एवं नामान्तरण सं0 2394 दिनांक [illegible].09.2023 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपीलन्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी वि[illegible] ईश्वर सिंह, मुन्नीबाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

व संतोष कुंवर जाति आंजना निवासी बानोर से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया और जरिये नामान्तरण सं0 2394 दिनांक 20.09.2023 से खातेदार दर्ज हुए थे। ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण–पत्र क्रमांक 47 दिनांक 07.11.2025 एवं अपीलान्ट द्वारा पेशशपथ पत्र दिनांक 20.11.2025 से स्पष्ट है कि अपीलान्ट अभी जिवित है। अतः अपीलान्ट के खाते की आराजी गत खाता सं0 696 खसरा नं 148 व 149 हाल खसरा नं 210, 1134 व 1132 किता 03 पर फोती नामान्तरण दर्ज करना राजस्व कार्मिकों एवं रेस्पोडेण्ट क्र 1 व 2 की गंभीर लापरवाही है। हल्का पटवारी को नामान्तरण दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट के फोत होने की जानकारी लेनी चाहिए थी और ग्राम पंचायत कोरम को भी नामान्तरण निर्णित करने पूर्व जांच की जानी चाहिए थी। अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसार दिया जाना भी साबित नहीं होता है। रेस्पोडेण्ट क्रम 2 पैरोकार सरकार ने अपने जवाब अपील दिनांक 09.12.2026 के बिन्दु सं 03 में स्वयं स्वीकार किया है कि आपीलान्ट एवं मृतक खातेदार मांगीलाल पुत्र गुलाब का नाम, पिता का नाम व जाति समान होने से सहवन से खाता सं0 540 व 541 के साथ–साथ खाता सं0 696 पर भी फोती नामान्तरण दर्ज हो गया है जिसे खारिज किया जावे।

7. हस्तगत प्रकरण में जहां तक लिमिटेशन का सवाल है, अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि अपीलान्ट के जिवित होते हुए भी सुनवाई का अवसर दिये बिना खोले गये फोती नामान्तरण की जानकारी दिनांक 02.11.2025 को होना जाहिर किया है जो मियाद अधिन है। **यह तथ्य साबित है** कि ग्राम पंचायत बानोर द्वारा निर्णित नामांतरण सं0 2556 प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरूद्ध (**<u>void ab initio</u>**) होने से खारीज योग्य है। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयो एवं राजस्व मण्डल द्वारा विलंब के संबंध में यह सिंद्धात प्रतिपादित किया है कि किसी अपील को मियाद के बिन्दु खारिज करने से पूर्व प्रकरण की मेरिट पर समुचित रूप से विचार किया जाना चाहिये एवं अपील मेरिट के आधार पर सुदृढ रूप से खडी हो तो प्रकरण का निर्णय मेरिट के आधार पर ही किये जाने के प्रयास करने चाहिये। **ऐसे प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरूद्ध** (**<u>void ab initio</u>**)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:54 IST
Reason: Self-Attested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश के विरूद्ध कभी भी अपील की जा सकती है ऐसे शून्य प्रभावी नामांतरण को चुनौती देने के लिए मियाद कभी बाधक नही होती है। जिन प्रकरणों में विधि विरूद्ध तरीके से किसी जिवित व्यक्ति को बिना किसी आधार और बिना सुने उसके कानूनी अधिकारो से संदेहप्रद रूप से वंचित किया गया हो उन प्रकरणों को सदैव गुणागुण पर निर्णित करना ही प्राकृतिक न्याय का सिंद्धांत है। जो नामांतरण पुर्णतया साक्ष्य के विरूद्ध किये गये सिद्ध हो तो उन्है यथावत रखे जाना कभी भी न्याय की मंशा नही होती है। अतः अपीलाट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम बानोर तहसील रायपुर की आराजी गत खाता संख्या 696 खसरा नं0 148 व 149 हाल हाल खाता सं00 331 खसरा नं 210, 1132 व 1134 बीघा के संबंध में ग्राम पंचायत बानोर द्वारा तस्दीक नामा.सं. 2556 दिनांक 20.06.2025 के प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध एवं प्रभाव शून्य होने से अपीलांट की अपील अंतर्गत धारा 75 एल. आर.एक्ट. स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट0 न्यायहित में स्वीकार की जाती है। ग्राम बानोर तहसील रायपुर की आराजी गत खाता संख्या 696 खसरा नं0 148 व 149 हाल हाल खाता सं00 331 खसरा नं 210, 1132 व 1134 के संबंध में ग्राम पंचायत बानोर द्वारा तस्दीक नामा.सं. 2556 दिनांक 20.06.2025 के प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध एवं प्रभाव शून्य होने से निरस्त किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर व हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:57:54 IST
Reason: SelfAttested

30/03/2026

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
जिला झालावाड, राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner